

न्यायालय स्थितिल जज (वरीय कोर्ट)-8
मोतिहारी
विभाजन वाद सं० 140/2025 ई०
भूदेन्द ठाकुर वादी
बनाम
अभिषेक कुमार एवं अन्य प्रतिवादीगण
सम्पन्न बन्धन प्रतिवादी सं० (1) अभिषेक कुमार वलद
स्व० जिलेन्द्र ठाकुर (2) मुसनाथ राजू देवी पति स्व०
जिलेन्द्र ठाकुर मोजा रघुनाथपुर धाना रघुनाथपुर
जिला पूर्वी चम्पारण (3) श्रीमती सहेम देवी पति श्री
रामकाल ठाकुर मोजा बड़ा बरियारपुर धाना छतनी
जिला पूर्वी चम्पारण प्रतिवादी प्रथम पक्ष, (4) श्रीमती
सहेम देवी पति श्री पन्नालाल सहनी मोजा
सररौला धाना लखौरा जिला पूर्वी चम्पारण (5)
श्रीमती सुज्जाता मिश्र पति श्री अमित नवी मुहल्ला
गोकलपुर धाना मोतिहारी नगर जिला पूर्वी चम्पारण
(6) निरंजन सहनी वलद श्री अवधेश सहनी (6)
धीरज सहनी वलद श्री बदरी सहनी मोजा रघुनाथपुर
धाना रघुनाथपुर जिला पूर्वी चम्पारण (8) चन्द भूषण
कुमार वलद श्री चन्द्रिका सहनी मोजा खटौलवा
गवदरी धाना कल्याणपुर जिला पूर्वी चम्पारण (9)
राहुल कुमार वलद श्री धीरेन्द्र दास मोजा आदिया
धाना कोटवा जिला पूर्वी चम्पारण प्रतिवादी
द्वितीय पक्ष। वू इस वाद का सम्पन्न नजदर एवं
निर्णय डांक से आपसीमे पर लमिल हो चुकी है
लेकिन आपसीमउपरिबन्ध नही हो रहे है। अत
बजरीये प्रकाशन आपसीमे को सुविध किया जाता है
दिनांक-09.07.2026 को 10.30 बजे दिन में सुप
अवकाश कक्षातल न्यायालय में हाजीर होकर
मुकदमा में उचित फैरवी काे अन्तस आपसीमे की
अनुसरिबन्ध में एक पक्षीय सुनवाई कर काद का
फैरवा कर दिया जायेगा। आज दिनांक-
08.06.2026 को मेरे आदेश एवं न्यायालय की
मुहर से निर्णय किया गया।

स्थितिल जज (वरीय कोर्ट)-8
मोतिहारी।

कोर्ट नोटिस
न्यायालय में,
अवर न्यायाधीश-1
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या-138/2026
जय प्रकाश प्रसाद एवं अन्य वादीगण
बनाम
उमेश प्रसाद एवं अन्य प्रतिवादीगण
नोटिस बनाम
1. उमेश प्रसाद, 2. ओम प्रकाश प्रसाद
(पुत्रगण स्व० शिवदयाल प्रसाद), 3. प्रभु
प्रसाद पुत्र स्व० रामधारी राउत, 4. सुनील
प्रसाद, 5. अनिल प्रसाद (पुत्रगण प्रभु
प्रसाद), 6. गुडिया देवी पत्नी उमेश प्रसाद
चौरसिया सभी मोजा-चैनपुर, बार्ड नं०-9,
पो०-गोनाहा, धाना-रक्सौल, जिला-पूर्वी
चम्पारण प्रतिवादीगण। वू बजरीये इस
नोटिस के माध्यम से आपसीमे को आगाह
किया जाता है कि आपसीमे दिनांक-
03.07.2026 को 10.30 बजे दिन में मेरे
न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता
महोदय के माध्यम से उपस्थित होकर
अपना पक्ष प्रस्तुत करें, वरना उपरोक्त
मोकदमे की अगली कार्यवाही आपसीमे को
विरुद्ध एकपक्षीय होगी। तत्किद जाने।
अवर न्यायाधीश-1
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।

कोर्ट नोटिस
न्यायालय में,
अवर न्यायाधीश-1
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।
विभाजन वाद सं०-474/25
विन्दे बर प्रसाद वी० वादी
बनाम
गोविन्द प्रसाद वी० प्रतिवादीगण
बनाम
1. गोविन्द प्रसाद वलद बीरबल प्रसाद, 2. शम्भु
प्रसाद वलद रुद्रल प्रसाद मोहल्ला-ठाकुरवारी,
पो० यो धाना मोतिहारी नगर, जिला-पूर्वी चम्पारण,
3. हरिवंश प्रसाद वलद बुझाबन भगत, 4. कविन्द्र
प्रसाद वलद रामचरित्र भगत, 5. वैजू भगत वलद
ब्रह्मदेव भगत धाम-साधुबन टोला कोयला बेलवा,
पो०-कोयला बेलवा धाना-बिक्रया, जिला-पूर्वी
चम्पारण, 6. शिवम प्रसाद वलद स्व० विश्वनाथ
प्रसाद, 7. शैलेन्द्र प्रसाद वलद स्व० विश्वनाथ
प्रसाद, 8. रामकिशुन प्रसाद वलद स्व० रामलखन
प्रसाद साकिन मोहल्ला-मोतिहारी बेलबनवा,
पो०-मोतिहारी रावद मोतिहारी, जिला-पूर्वी
चम्पारण। विदित हो कि उपरोक्त वाद में न्यायालय
द्वारा आप सभी के विरुद्ध बार बार समन नोटिस
भेजने के पश्चात भी न्यायालय में प्रतिवादी
उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसलिए प्रतिवादी को
हिदायत दिया जाता है कि निर्धारित अवधि के
भीतर न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता
के माध्यम से उपस्थित होकर दिनांक-
30.06.2026 को सुबह 7.30 बजे अपना पक्ष
रखें अन्यथा आपके विरुद्ध एकपक्षीय कारवाई
की जाएगी। आवश्यक सूचनाएं।
अवर न्यायाधीश-1
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।

पुलिस ने छेड़खानी के आरोपित को किया

प्रतिनिधि, हरसिद्धि
महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हरसिद्धि पुलिस ने छेड़खानी के एक मामले में नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान कोटवा धाना क्षेत्र के फतुहा गांव निवासी कमलेश मिश्र के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मामले में आवश्यक पूछताछ के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। धानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि छेड़खानी से संबंधित मामले में आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा पुलिस की मामलों में दे कानूनी कार के बाद 3 पूछताछ की न्यायालय में हिरासत में अभियान में के साथ पु कुमार, प्रीत तथा सशस्त्र पुलिस की कानून व्यव भरोसा मजब आमजन से के खिलाफ। को सूचना त समय पर व सेके.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपकी लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय, बलुआटाल, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण-845401

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें]
अवल संपत्तियों की विवरी के लिए विवरी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित विनीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की विवरी के लिए ई-नीलामी विवरी सूचना।

आम जनता को एवं विशेष रूप से उधारकर्ता एवं ग्राहक को, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों, जिसे सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/पक्ष के रूप में रखा गया है एवं जिसका भौतिक बकाया सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडकन हॉस्पिटल शाखा एवं आम्पेदेई शाखा (सुरक्षित लेनदार) के अधिभूत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है जिसे उधारकर्ता एवं ग्राहक से सुरक्षित लेनदारों के बकाया की वसूली के लिए दिनांक 29.06.2026 को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है', एवं 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। संबंधित संपत्तियों के विवरण के सामने अर्पित मूल्य और बचाना रहित जमा प्रदर्शित की गई है।

क्र. सं.	शाखा	उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना राशि/बकाया	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / ईएमपी / बोली बुद्धि राशि
1.	इंडकन हॉस्पिटल, रक्सौल	विजय प्रसाद, पित- शंभु प्रसाद	रु. 11,35,905.00 (रुपये ग्यारह लाख पैंतीस हजार नौ सौ पैंच भाग) दिनांक 22.11.2023 तक + उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य कानूनी सुल्का।	संपत्ति का सामूहिक बंधन (भूमि एवं भवन) श्री विजय प्रसाद पित- शंभु प्रसाद के नाम पर, विवरी विवरी संख्या -4553 दिनांक 03.11.2018, मोजा-धनगडवा, धाना-अंचल-रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण, विस्तार, क्षेत्रफल- 0-0-4.12 (4 भू 12 घुसकी / 2.45 हेक्टेयर) खाता संख्या-86, प्लॉट संख्या-215, कना संख्या-08, मौजी संख्या-951 चौहट्टी- उत्तर- सांघी देवी, दक्षिण- सांघ मल्लो एवं सांघे मल्लो, पूर्व- ओम जी, पश्चिम- रासल 12 प्लॉट	रु 1480000/- रु 148000/- रु 100000/-
2.	आम्पेदेई	मेसर्स सजु लेध इंजीनियरिंग कंस्ट्रोकन एंड मीकैनिक्ल डीप रिजर्च एंड डेवलपमेंट	रु. 554586 + ब्याज एवं अन्य शुल्क दिनांक	अचल सम्पत्ति: सजु सिंह उर्फ सजु देवी धर्मगंजी मुलू सिंह उर्फ इन्दरबेकर कुमार के नाम में जमीन एवं भवन का सभी भाग एवं अंग, पॉसित खाता नं.- 229, खसरा नं. 885, परिचा 1750.87 वर्गफीट (8 भू एवं 10 घुसकी), मौजा- मझरिया, धाना नं.- 68, धाना रामगढ़ का, जिला पूर्वी चम्पारण, पौरसभा- उत्तर	रु. 711000/- रु. 71100/- रु.100000/-

नगर चौक

प्रति
नगर शनिवा तहत बुलडोज तथा लक्ष्मी अवस्थित 3 गया. नगर बीते कई दि नाला पर लग समझाया कि दुकानदारों ने बावत नगर कायदेशि उल्लेखित है शुक्रवार को जिले के मोतिहारी. स